Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

33-2026/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2026 (PHALGUNA 8, 1947 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 27th February, 2026

No. 2-HLA of 2026/4/4116.— The Haryana Extension Lecturers and Guest Lecturers (Security of Service) Amendment Bill, 2026 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 2- HLA of 2026

A

Bill

further to amend the Haryana Extension Lecturers and Guest Lecturers (Security of Service) Act, 2024.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Extension Lecturers and Guest Lecturers (Security of Service) Amendment Act, 2026. Short title.

2. In clause (c) to section 2 of the Haryana Extension Lecturers and Guest Lecturers (Security of Service) Act, 2024 (hereinafter called the principal Act), for the words, figures and sign "on or before the 30th June, 2023", the words, figures and sign "on or before the 21st July, 2025" shall be substituted. Amendment of section 2 of Haryana Act 1 of 2025.

3. In Explanation of section 3 of the principal Act, for the words "in a calendar year", the words "during a period of one year contractual service" shall be substituted. Amendment of section 3 of Haryana Act 1 of 2025.

Substitution of section 4 of Haryana Act 1 of 2025.

4. For section 4 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"4. Remuneration.- (1) An eligible extension lecturer and eligible guest lecturer shall be entitled to receive a consolidated monthly remuneration of Rs. 57,700/- (Fifty seven thousand and seven hundred rupees only).

(2) The consolidated monthly remuneration shall be increased with effect from the first day of January and the first day of July every year corresponding to the increase in Dearness Allowance.

(3) The Government may notify an increment on the consolidated monthly remuneration on the completion of the first year from the date of commencement of the Act and every year thereafter.".

Amendment of Schedule to Haryana Act 1 of 2025.

5. In the Schedule to the principal Act, for serial number 4 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

"4. Benefit of ex-gratia compassionate financial assistance or compassionate appointment in Haryana Kaushal Rozgar Nigam in accordance with such policy, as may be notified by the State Government.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Act titled as The Haryana Extension Lecturers and Guest Lecturers (Security of Service) Act, 2024 was notified on 16.01.2025. In this act, the benefit of security of service is admissible to those eligible Extension Lecturers and Guest Lecturers, who fulfill five years of service on or before 15th August, 2024. The Haryana Extension Lecturers Association has requested for amendment in the Explanation of section 3 of the Haryana Extension Lecturers and Guest Lecturers (Security of Service) regarding the counting of 240 days during a period of one year contractual service instead of Calendar year.

It has been observed that an amendment is also required in clause (c) of section 2 regarding the definition of eligible Extension Lecturer whereby the date of acquiring eligibility has been enhanced from 30th June, 2023 to 21st July, 2025. Further, an amendment is also required in Section 4 of the Act regarding the benefit of Dearness Allowance (DA) granted to such eligible Extension Lecturers and eligible Guest Lecturers. The language of this clause is confusing and it may have multiple interpretations. Furthermore, it has also been requested to make provision of annual increment in the Haryana Extension Lecturers and Guest Lecturers (Security of Service) Act. Therefore, it would be appropriate that Section 4 may be amended as: -

"4. Remuneration.- (1) An eligible extension lecturer and eligible guest lecturer shall be entitled to receive a consolidated monthly remuneration of Rs. 57,700/- (Fifty seven thousand and seven hundred rupees only).

(2) The consolidated monthly remuneration shall be increased with effect from the first day of January and the first day of July every year corresponding to the increase in Dearness Allowance.

(3) The Government may notify an increment on the consolidated monthly remuneration on the completion of the first year from the date of commencement of the Act and every year thereafter.".

Furthermore, amendment is also required in the schedule for serial No. 4 of the Principal Act regarding benefit of ex-gratia compassionate financial assistance or compassionate appointment.

The requested of the Haryana Extension Lecturers Associations is genuine. Therefore, taking cognizance of the request submitted by the Haryana Extension Lecturers Association, it would be appropriate that the above mentioned amendments may be made in 'The Haryana Extension Lecturers and Guest Lecturers (Security of Service) Act, 2024'.

Hence, these amendments.

MAHIPAL DHANDA,
Higher Education Minister,
Haryana.

Chandigarh:
The 27th February, 2026.

RAJIV PRASHAD,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2026 का विधेयक संख्या 2–एच. एल. ए.

हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन विधेयक, 2026

हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा विस्तार प्रध्यापक तथा अतिथि प्रध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है।

2025 के हरियाणा अधिनियम 1 की धारा 2 का संशोधन।

2. हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ग) में, ''30 जून, 2023 को या से पूर्व'' अंकों, शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, ''21 जुलाई, 2025 को या से पूर्व'' अंक, शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

2025 के हरियाणा अधिनियम 1 की धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की व्याख्या में, ''एक कैलेंडर वर्ष में'' शब्दों के स्थान पर, ''एक वर्ष की संविदात्मक सेवा की अवधि के दौरान'' शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

2025 के हरियाणा अधिनियम 1 की धारा 4 का प्रतिस्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

''4. पारिश्रमिक.– (1) पात्र विस्तार प्राध्यापक तथा पात्र अतिथि प्राध्यापक, 57,700/– रुपए (केवल सतावन हजार और सात सौ रुपए) का समेकित मासिक पारिश्रमिक प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) मंहगाई भत्ते में वृद्धि के अनुरूप प्रतिवर्ष जनवरी के प्रथम दिन और जुलाई के प्रथम दिन से समेकित मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि की जाएगी।

(3) सरकार, अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से प्रथम वर्ष के समापन पर और उसके बाद प्रतिवर्ष समेकित मासिक पारिश्रमिक पर वेतन वृद्धि अधिसूचित कर सकती हैं।''।

2025 के हरियाणा अधिनियम 1 की अनुसूची का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की अनुसूची में, क्रम संख्या 4 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''4. ऐसी नीति, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, के अनुसार अनुग्रहपूर्वक अनुकंपा वित्तीय सहायता लाभ या हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अनुग्रहपूर्वक नियुक्ति।''।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 अधिनियम 16.01.2025 को अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम में, सेवा की सुनिश्चितता का लाभ उन पात्र विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक को मिलेगा, जिन्होंने 15 अगस्त, 2024 को या उससे पहले पांच साल की सेवा पूरी कर ली है। हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम की धारा 3 की व्याख्या में कैलेंडर वर्ष के बजाय एक वर्ष की संविदा सेवा की अवधि के दौरान 240 दिनों की गिनती के संबंध में संशोधन का अनुरोध किया है।

यह देखा गया है कि पात्र विस्तार प्राध्यापक की परिभाषा के संबंध में धारा 2 के खंड (ग) में भी संशोधन की आवश्यकता है, जिसके तहत पात्रता प्राप्त करने की तारीख 30 जून, 2023 से बढ़ाकर 21 जुलाई, 2025 कर दी गई है। और, ऐसे पात्र विस्तार प्राध्यापक तथा पात्र अतिथि प्राध्यापक को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (DA) के लाभ के संबंध में अधिनियम की धारा 4 में भी संशोधन की आवश्यकता है। इस खंड की भाषा भ्रमित करने वाली है और इसके कई अर्थ हो सकते हैं। इसके अलावा, हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम में वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रावधान करने का भी अनुरोध किया गया है। इसलिए, यह उचित होगा कि धारा 4 को इस प्रकार संशोधित किया जाए: —

''4. पारिश्रमिक.— (1) पात्र विस्तार प्राध्यापक तथा पात्र अतिथि प्राध्यापक, 57,700/—रुपए (केवल सतावन हजार और सात सौ रुपए) का समेकित मासिक पारिश्रमिक प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) मंहगाई भत्ते में वृद्धि के अनुरूप प्रतिवर्ष जनवरी के प्रथम दिन और जुलाई के प्रथम दिन सेसमेकित मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि की जाएगी।

(3) सरकार, अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से प्रथम वर्ष के समापन पर और उसके बाद प्रतिवर्ष समेकित मासिक पारिश्रमिक पर वेतन वृद्धि अधिसूचित कर सकती हैं।''।

इसके अलावा, मूल अधिनियम की धारा 4 के लिए अनुसूची में अनुग्रह अनुकंपा वित्तीय सहायता या अनुकंपा नियुक्ति के लाभ के संबंध में भी संशोधन की आवश्यकता है।

हरियाणा विस्तार प्राध्यापक एसोसिएशन का अनुरोध वास्तविक है। इसलिए, हरियाणा विस्तार प्राध्यापक एसोसिएशन द्वारा दिए गए अनुरोध पर ध्यान देते हुए, यह उचित होगा कि 'हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024' में ऊपर बताए गए संशोधन किए जाएं।

अतः ये संशोधन प्रस्तावित है।

महिपाल ढांडा,
उच्चतर शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 27 फरवरी, 2026.

राजीव प्रसाद,
सचिव।